(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 5160-दो/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 14-3-2016 - पारित व्दारा - नायच तहसीलदार, तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी- प्रकरण कमांक 3 अ-6/2013-14

1- अशोक कुमार

2- संजय कुमार पुत्रगण पंचमप्रसाद

दोनों ग्राम कुंआ तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

रामसजीवन पुत्र स्व.महावीर राम ग्राम भितरी

तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सर्वेन्द्र पाण्डे)

(अनावेदक के अभिभाषक अजय पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 01-06-2018 को पारित)

यह निगरानी नायच तहसीलदार, तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 3 अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14-3-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायच तहसीलदार, तहसील रामपुर नेकिन को आवेदन देकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत द्वित्तीय अपील कमांक 729/94 में पारित डिकी दिनांक 1-3-2012 के आधार पर ग्राम कुआ स्थित आराजी कमांक 380 रकबा 2-85 एक् नवनिर्मित नंबर

486 रकबा 0.01 है. तथा 487 रकबा 1.04 है. के आधार पर नामान्तरण की मांग की, जिस पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त आराजी पर व्यवहार वाद कमांक 101 अ-13 प्रचलित है इसलिये व्यवहार वाद के अंतिम निराकरण तक प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखी जावे। नायव तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 14-3-16 पारित किया तथा आपत्तिकर्ता (आवेदकगण) का आपत्ति आवेदन अस्वीकार किया। नायव तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलेकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि क्या व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 101 अ-13 प्रचलित रहने से नामान्तरण कार्यवाही रोकी जाना चाहिये अथवा नहीं ? अनावेदक के नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नामान्तरण का मूल दावे में प्रथम पृष्ठ पर इस प्रकार अंकन है :-

" माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा निराकृत द्वित्तीय अपील कमांक 729/94 में पारित डिकी दिनांक 1-3-12 के कियान्वयन में ग्राम कुआ तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी म0प्र0 में स्थित पुराने भू मापक कमांक 330 परिवर्तित भू मापक कमांक 360 रकबा 2-85 एकड़ से नवश्रृजित भू मापक कमांक 486 रकबा 0.01 है0 एंव 487 रकबा 1-04 है. का नामान्तरण आवेदक के नाम किये जाने हेतु आवेदन पत्र। "

तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1-3-12 के कम में स्थापित हुआ है। व्यवहार वाद कमांक 101 अ-13 में किसी प्रकार का स्थगन नहीं है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 - नामान्तरण का उद्धेश्य - नामान्तरण का मूल उद्धेश्य अधिकार अभिलेख को अद्यतन शुद्ध रखना है। अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा अंतरण के कारण उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं और वह**

किसी अन्य व्यक्ति को विधिपूर्वक अर्जित हो जाते हैं। अधिकार अभिलेख शुद्ध एंव अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का है।

2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 109, 110 - नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान यदि कोई पक्षकार सिविल वाद प्रस्तुत कर देता है- रोक का आदेश न होने की दशा में राजस्व अधिकारी नामान्तरण कार्यवाही स्थगित नहीं करेगा, वरण् उसका विनिश्चय करेगा। (दुलारीवाई विरूद्ध नारायण 2006 रा.नि. 189 तथा केशवप्रसाद शुक्ल विरूद्ध रंजनावाई 1991 रा.नि. 202 से अनुसरित)**

रोक का आदेश न होने की दशा में नायव तहसीलदार ने आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करके प्रकरण में सुनवाई हेतु आगे की तिथि नियत करने में त्रृटि नहीं की गई है जिसके कारण नायच तहसीलदार, तहसील रामपुर नेकिन का आदेश दिनांक 14-3-16 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार, तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी व्दारा प्रकरण कमांक 3 अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14-3-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर